

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी- जीतेन्द्र सिंह नरुका

सिविल प्रकरण संख्या:- 21/2023

तारीख रजू :- 13.06.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

श्री हनुमान प्रसाद बंसल पुत्र श्री स्व: केदार मल (विक्रेता) मैसर्स:- हनुमान प्रसाद घनश्याम दास हरसहाय जी का कटला, शहर सवाई माधोपुर।

.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011  
की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51

निर्णय

दिनांक.....12/01/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 23/02/2023 दोपहर 02.00 पी.एम पर उक्त फर्म हनुमान प्रसाद घनश्याम दास, हरसहाय जी का कटला, शहर सवाई माधोपुर, संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु एक खुले टिन में 11 किलोग्राम घी (लूज) रखा था। उक्त घी (लूज) में गुणवत्ता/मिलावट होने का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जाँच 1 लीटर घी (लूज) खरीदकर उनकी कीमत 200/- रुपये विक्रेता श्री हनुमान प्रसाद बंसल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये तथा उपस्थित गवाहान श्री विमल चन्द जैन के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (लूज) को एक स्टील की भगोनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर-बराबर मात्रा में डाल कर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-2632 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं

  
**न्याय निर्णयन अधिकारी**  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरसुदा पेपर रिलिफ नं H-2632 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री हनुमान प्रसाद बंसल ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ. की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/548-50 दिनांक 06/03/2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिपोर्ट स. एलएस/467/एक्ट/2023/577 दिनांक 08-03-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/759 दिनांक 12/05/2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त केस में अभियुक्त हनुमान प्रसाद बंसल पुत्र श्री स्व: केदार मल (विक्रेता) मैसर्स:- हनुमान प्रसाद धनष्याम दास हरसहाय जी का कटला, शहर सवाईमाधोपुर द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री धर्मचन्द जैन एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोवारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (सबस्टैण्डर्ड) प्रकृति की खाद्य वस्तु घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।


विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया की आवेदक द्वारा नमूना लेने की जो कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार नहीं है तथा उनके पक्षकार द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/467/एक्ट/2023/577 दिनांक 08-03-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2006 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/-रु० (अक्षरे दस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान में रख कर ही विक्रय करें तथा वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(जीतेन्द्र सिंह नरुका)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर